न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 3118 / 2003 / चित्तौड़गढ

चुन्नीलाल उर्फ चूना पुत्र श्री धूला (फौत) के कायम मुकामः–
1. नानालाल पुत्र चुन्नीलाल
2. नंदकिशोर पुत्र चुन्नीलाल
3. मु0 रत्तु पुत्री चुन्नीलाल

सभी जाति अहीर निवासी ग्राम धनेतकलां तहसील व, जिला चित्तौडगढ।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– नारायण पुत्र किशना अहीर
2– गटूबाई बेवा किशना अहीर
3– राजस्थान सरकार

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :–

श्री योगेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
श्री अशोकनाथ योगी, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण

निर्णय **दिनांकः– 30.05.2025**

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8–1–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दौराने अपील अपीलांट की मृत्यु होने पर आदेशिका दिनांक 31–1–2025 द्वारा अपीलांट चुन्नीलाल के कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये गये।

2— अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी वादी संख्या 1 व 2 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् न्यायालय उपखंड अधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष बाबत् विवादित आराजी खाता संख्या 2 की कुल किता 11 रकबा 2.14 हैक्टयर व खाता सं. 3 व खाता सं. 4 के कुल किता क्रमशः 3 रकबा 1.17 हैक्टयर व 2 रकबा 0.28 हैक्टयर इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादी अपीलांट उपरोक्त आराजी के संयुक्त खातेदार है जिसमें उसका 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी अपीलांट है। वादीगण एवं प्रतिवादी संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है। उपखंड अधिकारी चित्तौडगढ ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 10—7—01 जारी कर दी तथा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 24—9—01 को अंतिम डिक्री पारित कर दी। इसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8—1—03 द्वारा खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3— विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। वाद विवादित आराजी के बंटवारे के संबंध में था। अपीलांट को अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस भी जारी नहीं किया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाहीं दूषित व न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय थी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना तहसीलदार द्वारा नहीं की गई। तहसीलदार चित्तौडगढ को वादग्रस्त भूमि के विभाजन प्रस्ताव स्वयं को तैयार करने थे अथार्त तहसीलदार को मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मंडल) नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने थे।

गिरदावर हल्का द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मानने योग्य नहीं थे। गिरदावर को पक्षकारान के मध्य उपरोक्त नियमानुसार विभाजन का प्रस्ताव तैयार करने का अधिकार नहीं था। विचारण न्यायालय को दुबारा तहसीलदार चित्तौडगढ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाने चाहिये थे। विचारण न्यायालय ने विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है। खाता सं.2 के आधे आधे हिस्से पर पक्षकार काबिज काश्त है। खाता नंबर 3 व 4 में वर्णित भूमि प्रतिवादी अपीलांट की है जिस पर वह काबिजकाश्त है। इसमें वादीगण प्रत्यर्थीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है। लगान भी अपीलांट अदा कर रहा है। भूमि खसरा नंबर 1668, 1669, 1670 जरिये विक्रय पत्र अपीलांट ने खरीद की है किंतु विक्रय पत्र में उसके भाई किशनलाल का नाम गलत अंकित कर दिया। अपीलांट उक्त आराजी पर वर्ष 69 से काबिजकाश्त है। विवादित आराजी का उचित प्रतिफल चुकाकर अपीलांट ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। भूमि पर अपीलांट का कब्जा वर्ष 1969 से चला आने के कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवादी अपीलांट मालिक हो गया है। ऐसी स्थिति में खाता सं. 3 व 4 का विभाजन नहीं किया जा सकता था। खाता सं.3 व 4 अपीलांट की स्वअर्जित आराजी होने से उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। अपीलीय न्यायालय को उपरोक्त आलोक में प्रकरण रिमाण्ड करना चाहिये था। किंतु उनके द्वारा अपीलांट की प्रथम अपील मनमाने तरीके से खारिज कर दी। अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

4— उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने बहस में कहा कि विवादित आराजी राजस्व रिकोर्ड में संयुक्त खाते में दर्ज थी। उसके आधार पर ही वादी का विभाजन का वाद डिक्री किया गया है। विभाजन प्रस्ताव के समय अपीलांट का पुत्र नानालाल उपस्थित था जिसके सूचना पत्र में हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का तर्क कि विभाजन प्रस्ताव उसकी उपस्थिति में नहीं बनाया मानने योग्य नहीं है। विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किये गये है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जिसमें किसी प्रकार की विधि अथवा तथ्य सम्बंधी त्रुटि नहीं होने से हस्तगत् अपील खारिज की जावें।

5— उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6— पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् विवादित आराजी न्यायालय उपखंड अधिकारी चित्तौडगढ ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये प्राथमिक डिक्री दिनांक 10—7—01 व अंतिम डिक्री दिनांक 24—9—01 पारित करने के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8—1—03 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पत्रावली में संलग्न मौका प्रस्ताव रिपोर्ट दिनांक 23—8—01 भू अभिलेख निरीक्षक धनेतकला द्वारा तैयार की गई है। जबकि विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 10—7—01 जारी करते समय तहसीलदार चित्तौडगढ को पक्षकारान की उपस्थिति में स्वयं की देखरेख में मौके व रेकार्ड के अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर भूमि की कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तैयार कर न्यायालय में पेश करने हेतु आदेशित किया गया है। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारानों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के वक्त स्वयं तहसीलदार उपस्थित नहीं होकर सबंधित भू अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट तैयार कर मंगवाई गई है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका मुआयना नहीं किया गया है तथा बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर किया जाना भी प्रकट नहीं है। बंटवारे के वाद में विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित किया जाना आज्ञापक है।

7— उपलब्ध अभिलेख के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि स्वयं तहसीलदार ने पक्षकारान की उपस्थिति में मौका देखकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रकार इस प्रकरण में विचारण न्यायालय की कार्यवाहीं से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम के नियम 18 से 21 की पालना नहीं किया जाना स्पष्ट है तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम के नियम 18 से 21 की पालना के अभाव में विभाजन प्रस्ताव को विधि अनुसार तैयार विभाजन प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस खंड पीठ का यह मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने में स्पष्ट त्रुटि कारित की है जो पुष्टि योग्य नहीं है तथा योग्य प्रथम अपील न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 24—9—01 (अंतिम डिक्री) की पुष्टि करने में त्रुटि कारित की है जो पुष्ट किये जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में योग्य विचारण न्यायालय का निर्णय व डक्री दिनांक 24—9—01 (अंतिम डिक्री) एवं प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ का निर्णय व डिक्री दिनांक 8—1—03 अपास्त किए जाकर हस्तगत् द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8— उपरोक्त विवेचन अनुसार हस्तगत् अपील आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8—1—03 एवं न्यायालय उपखंड अधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24—9—01 अपास्त किये जाते है। प्रकरण पुनः न्यायालय उपखंड अधिकारी चित्तौडगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री अनुसार राजस्व मंडल वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय व राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम के नियम 18 से 21 के मुताबिक उभय पक्षों को सूचना देते हुये मौके पर स्वयं सबंधित तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव की रिपोर्ट तैयार करवा कर प्राप्त करें और उभय पक्षों को सुनकर विधिवत विभाजन हेतु अंतिम डिक्री पुनः पारित करें।

9— उभय पक्ष को हिदायत दी जाती है कि वे परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष वास्ते अग्रिम कार्यवाहीं दिनांक 24—6—2025 को उपस्थित होंवे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस न्यायालय की निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष